पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई (एन.जी)।।/2024/आर.सी.-04/09 दिनांक-15.10.2024, एवं 31.12.2024 एवं महाप्रबंधक/कार्मिक के पत्र सं०NER-HQ0PERS(POLI)/144/2024 दिनांक-24.01.2025 मे निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोंप्रान्त निर्माण/संगठन के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की रिक्तियों को भरने के लिए अधिवर्षिता के पश्चात सेवानिवृत कर्मचारियों से मासिक पारिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर री-इंगेजमेंट करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम सं०	विभाग	संवर्ग/पदनाम	पदों की संख्या
1	इंजीनियरिंग	सी०से०ई०/पुल	04
2	इंजीनियरिंग	सी०से०ई०/ड्रॉइंग	03
3	इंजीनियरिंग	जे०ई०/कार्य	08
4	इंजीनियरिंग	पी०एस०-।।	01
		कुल	**16**

अत: उपरोक्त पदों के विरुद्ध अधिवर्षिता के पश्चात सेवानिवृत रेल कर्मचारियों से संविदा के आधार पर री-इंगेजमेंट करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है, जिनकी शर्तें निमन्वत है:-

(1) इस अधिसूचना के तहत आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि 25.07.2025 को आवेदक की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। विज्ञापन की तिथि को 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) यह री-इंगेजमेंट कर्मचारी के द्वारा संतोषजनक सेवा पूरी करने पर अंतिम 5 वर्ष के APAR के आधार पर किया जा सकेगा।

(3) री-इंगेजमेंट के समय सेवानिवृत रेल कर्मचारी DAR/VIG CLEARENCE से मुक्त होना चाहिए।

(4) यह री-इंगेजमेंट रेल कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक, रि-इंगेजमेंट की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अथवा दिनांक-01.10.2026 की स्कीम अवधि तक अथवा आवश्यकता न होने पर अथवा आर.आर.सी./आर.आर.बी. से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने पर जो पहले हो तक ही सीमित रहेगा।

(5) री-इंगेजमेंट के समय अधिवर्षिता पर सेवानिवृत कर्मी को निर्धारित श्रेणी मे चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

(6) री-इंगेजमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते रेलवे बोर्ड के पत्र सं० ई(एन.जी.)।।/2024/आर.सी.-4/9 दिनांक-15.10.2024 आर.बी.ई. सं 96/2024 एवं ई(एनजी)-।।/2024/आरसी-4/9 दिनांक-31.12.2024 तथा समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे। इन्हे इसके अलावा अन्य कोई भी रेल सुविधा दे नहीं होगी।

(7) रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार लेवल-09 तक के सेवानिवृत रेल कर्मचारी री-इंगेजमेंट हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

(8) सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को एक वर्ष की अवधि के लिए री-इंगेज किया जाएगा।

(9) री-इंगेजमेंट किए गए भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है।

(10) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्मिक/अनुभाग के कार्यालय, के बाहर इसके लिए एक बॉक्स भी रखा गया है, जिसमे आवेदन डाला जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने कि अंतिम तिथि दिनांक-25.07.2025 सायं 18:00 बजे तक है।

(11) रिक्ति के अनुसार संबंधित कैडर मे अधिवर्षिता पर सेवानिवृत रेल सेवक ही आवेदन डाल सक`ते है।

(12) इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों मे भी संकेतिक सूचना जारी की जा रही है।

(13) यह स्कीम 01.10.2026 तक वैध होगी तत्सम्बंधी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।

(14) आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

(15) वे कर्मचारी इस अधिसूचना मे आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे जो स्वैच्छिक सेवनिवृति लिए है या SRRS/LARSGESS के तहत सेवानिवृत कर्मचारी या डी.ए.आर. के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत अथवा सेवा से पद मुक्त किये जा चुके है।

(16) यह अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

अत: अधिवर्षिता पर सेवानिवृत रेल कर्मचारी जो सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभिन्न संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण के अंतर्गत मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक है, अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा पर (सेवाप्रमाण पत्र एवं पी०पी०ओ० तथा अन्य प्रपत्रों की छायाप्रति के साथ) दिनांक-25.07.2025 तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के कार्मिक अनुभाग मे स्थित आवेदन पेटिका मे डालें।

सचिव/मुप्रअ/निर्माण

कृते मुप्रअ/निर्माण

दिनांक-26.06.2025

सं० का/283/बीजी/निर्माण/इंजी०/अराजपत्रित/री-इंगेजमेंट

1- सचिव/महाप्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

2- महाप्रबन्धक/कार्मिक को इस अनुरोध के साथ कि पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

3- मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।

4- मुख्य इंजी०/निर्माण-I/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

26/06/2025.

कृते मुप्रअ/निर्माण

आवेदन पत्र

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण,

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर,

विषय: री-इंगेजमेंट हेतु आवेदन पत्र।

सन्दर्भ: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण का अधिसूचना सं० का/283/बीजी/ निर्माण/इंजी०/अराजपत्रित /री-इंगेजमेंट दिनांक-01.07.2025

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० सं० ई(एन.जी.)।।/2024/आर.सी.-4/9 आर.बी.ई. सं 96/2024 दिनांक-15.10.2024 एवं दिनांक-31.12.2024 एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं० का/ 283/ बीजी/निर्माण/इंजी०/अराजपत्रित/री-इंगेजमेंट दिनांक-01.07.2025

1.	नाम		स्व हस्ताक्षरित फोटो
2.	पिता का नाम		
3.	जन्म तिथि		
4.	आवेदित पद		
5.	सेवानिवृति के समय पद		
6.	कार्यालय जहां से सेवानिवृत हुए है		
7.	रेलवे/मण्डल का नाम		
8.	सेवानिवृति की तिथि		
9.	लेवल/वेतनमान/ग्रेड पे (सातवा वेतन आयोग के अनुसार)		
10.	अंतिम मूल वेतन		
11.	पेंशन की रकम (7 CPC के अनुसार)		
12.	पत्राचार का पता		
13.	सम्पर्क नंबर (मोबाईल) एवं ई-मेल आई०डी०		
14.	पी०पी०ओ० सं०		
15.	आधार नं०		
15.	संलग्न (हा/नहीं)	1. सेवा प्रमाण पत्र की छाया प्रति	
		2. पेंशन भुगतान आदेश की छाया प्रति	
		3. अंतिम वेतन प्रमाण पत्र	

घोषणा-पत्र

मेरी जानकारी मे उपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबन्धक/कार्मिक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तो का पालन करूंगा/करूंगी । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि रेल सेवा से सेवानिवृत तिथि को मेरे पक्ष मे कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं थी तथा मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विज्ञापन की अंतिम तिथि को मेरी आयु 64 वर्ष से कम है, मुझे ज्ञात है कि री-इंगेजमेंट के संबंध मे रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा उसे स्वीकार करना बाध्यता होगी किसी भी समय रेलवे प्रशासन द्वारा तत्कालीन आवश्यकता की दशा मे री-इंगेजमेंट को निरस्त करने पर मुझे कोई आपति नहीं होगी।

दिनांक ..... **हस्ताक्षर**

पत्राचार का पता :-

..... नाम -

..... पिता का नाम -

..... सेवानिवृति के समय पद -

पी०पी०ओ० सं० -